**भारत सरकार**
**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**लोकसभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या. 48**
**(जिसका उत्तर सोमवार, 04 दिसंबर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया)**

**दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता, 2016**

**48. डॉ. उमेश जी. जाधवः**
**श्री प्रताप सिम्हाः**
**श्री तेजस्वी सूर्याः**
**श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्लेः**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता, 2016 ने देश में कंपनियों को तेजी से और आसानी से बंद करने में सक्षम बनाया है और यदि हां, तो इस संहिता को लाने के लाभ क्या हैं;
(ख) उन कंपनियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है, जो इस संहिता के प्रवर्तन के बाद से अब तक इसके तहत प्रक्रिया का पालन करते हुए बंद अथवा परिसमाप्त हो गई हैं;
(ग) वर्तमान में कंपनियों को परिसमाप्त करने अथवा बंद करने में लगने वाला औसत समय और उक्त संहिता के आने से पहले कंपनियों को बंद करने में लगने वाला औसत समय क्या है;
(घ) अब तक बंद अथवा परिसमाप्त हुई कंपनियों का वर्ष-वार कुल मूल्य अथवा राशि कितनी है और कितने मूल्य वाली कितनी कंपनियां परिसमापन अथवा बंद होने की प्रक्रिया के अधीन हैं; और
(ङ) उक्त संहिता ने देश में व्यापार करने में सुगमता को आगे बढ़ाने में किस प्रकार मदद की है?

**उत्तर**

**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(राव इंद्रजीत सिंह)**

**(क)**: आईबीसी को कारपोरेट व्यक्तियों, भागीदारी फर्मों और व्यक्तियों के दिवाला समाधान के लिए कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिससे भारत के दिवाला ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार आया है। एक निर्धारित समय सीमा के भीतर दिवाला का हल करने के लिए डिज़ाइन करते हुए, इसका उद्देश्य ऐसी दिवाला संस्थाओं की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना है। हितधारकों के हितों को संतुलित करके और सरकारी बकाया की प्राथमिकता को संशोधित करके, आईबीसी एक अधिक न्यायसंगत समाधान प्रक्रिया को सुकर बनाता है।

**(ख):** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई), संहिता के तहत नियामक, द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार, 30 सितंबर 2023 तक, संहिता के तहत परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन के तहत कारपोरेट व्यक्तियों का वर्ष-वार समापन / विघटन निम्नानुसार है:

| अवधि | परिसमापन के अधीन कारपोरेट व्यक्तियों के समापन/विघटन की संख्या | स्वैच्छिक परिसमापन के तहत विघटनों की संख्या |
|---|---|---|
| 2017 - 18 | 1 | 2 |
| 2018 - 19 | 7 | 40 |
| 2019 - 20 | 63 | 110 |
| 2020 - 21 | 75 | 96 |
| 2021 - 22 | 90 | 107 |
| 2022 - 23 | 81 | 174 |
| अप्रैल-सितंबर 23 | 66 | 115 |
| कुल | 383 | 644 |

**(ग):** 383 परिसमापन प्रक्रियाओं को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने में औसतन 465 दिन और समापन के लिए 631 दिन लगे। 644 स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाओं में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने में औसतन 389 दिन और विघटन के लिए 676 दिन लगे।

जहां तक संहिता के लागू होने से पहले कंपनियों को बंद करने में लगने वाले औसत समय का संबंध है, बंद करने की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के अंतर्गत अभिशासित की जा रही थी। मामले की जटिलता और कंपनी के आकार के अतिरिक्त पूरी परिसमापन प्रक्रिया कई कारकों पर निर्भर करती थी, जिसमें परिसमापक की नियुक्ति, कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री और संबंधित उच्च न्यायालय के आदेशों / निर्देशों के अनुसार लेनदारों के दावों पर सहमत होना आदि शामिल थे। इसलिए, कंपनियों के विघटन में लगने वाला औसत समय राज्य-दर-राज्य आधार पर अलग-अलग होगा।

(घ): 30 सितंबर 2023 की स्थिति के अनुसार, कारपोरेट व्यक्तियों जिन्होंने प्रक्रिया समापन या परिसमापन के तहत विघटन का परिसमापन मूल्य निम्नानुसार है:

| अवधि | मूल्यांकन *(करोड़ रुपये में)* |
|---|---|
| 2017 - 18 | 1 |
| 2018 - 19 | 1 |
| 2019 - 20 | 210 |
| 2020 - 21 | 1,108 |
| 2021 - 22 | 760 |
| 2022 - 23 | 741 |
| अप्रैल-सितंबर 23 | 144 |
| कुल | 2,965 |

30 सितंबर, 2023 की स्थिति के अनुसार 1866 मामले परिसमापन की प्रक्रियाधीन हैं और 1804 मामलों के लिए परिसमापन मूल्य, जिनमें आंकड़े उपलब्ध है, 56,563 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, 1005 मामले स्वैच्छिक परिसमापन की प्रक्रियाधीन हैं। स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया से गुजर रहे और विघटित किए गए कारपोरेट व्यक्तियों के लिए मूल्यांकन सूचना संबंधी आईबीबीआई द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ङ) आईबीसी ने अधिक कुशल दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करके भारत में व्यापार सुगमता को काफी उन्नत किया है। एक निर्धारित समय सीमा के भीतर दिवाला को हल करने के लिए डिज़ाइन करते हुए, इसका उद्देश्य ऐसी दिवाला संस्थाओं की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

*****